(1)

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–123/10
दायरा दिनांक :–06.06.2016
निर्णय दिनांक :–**31.07.2023**

उनवान

1. गिरिश पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
2. सुरेश पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
3. राजेन्द्र उर्फ दिनेश पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां

–**वादीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां –**प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 31.07.2023

अभिभाषक उपस्थित :–1. श्री ओम प्रकाश मेहता एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम माथनी पटवार हल्का माथना तहसील बारां के माल में आराजियात खसरा नं0 9 रकबा 0.28 हे0, खसरा नं0 18 रकबा 0.63 हे0, खसरा नं0 12 रकबा 0.05 हे0 एवं खसरा नं0 13 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 5 करबा 5.81 हे0 स्थित है। इन आराजियात को दावा हाजा में आगे विवादित आराजियात के नाम से वर्णित किया गया है। उक्त आराजियात सम्वत् 2003 के खाते के अनुसार खसरा नं0 712/5 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 07 रकबा 35 बिघा (उत्तरवल 32 बी0 19 बि0, कालू 3 बीघा 1 बिस्वा) बाद सेटलमेन्ट कायम हुए थे, राजस्व रिकार्ड में यह आराजियात कन्हैयालाल व पुरूषोत्तम पिसरान गोविन्द कोम ब्राह्मण निवासी बारां के नाम दर्ज थी, कन्हैयालाल लाऔलाद फौत हो चुके है। वादीगण पुरूषोत्तम जी के वारिसान व उत्तराधिकारी है। विवादित आराजियात को साधिकार बतौर मालिक वादीगण काश्त व उपयोग करते आ रहे है। सम्वत् 2003–2006 तक के खाते के अनुसार आराजियात के खातेदार पुरूषोत्तम व कन्हैयालाल रहे है। इन आराजियात को सर्वथा गलत तौर पर माफी मंदिर कल्याणराय जी बारां के नाम सेटलमेन्ट द्वारा दर्ज कर दी है। जबकि राज0 सरकार ने अपने पत्र राजस्व ग्रुप–6 (3)(2) राज0–5–2007/14 दिनांक 24.05.2007 के स्पष्ट निर्देश है कि वर्षो से काबिज चली आ रही भूमि का काबिज व्यक्ति को खातेदारी दी जावें। माननीय

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

सर्वोच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल एवं राज0 उच्च न्यायालय ने उक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, कि माफि की भूमि जिस पर माफि खालसा के समय जो व्यक्ति काबिज था। वह उसका मालिक हो चुका है। तथा उसके खाते भूमि दर्ज की जानी चाहिए। उक्त व्यक्ति के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। इसमें हस्तक्षेप अथवा दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नही है। इन आराजियात को सम्वत् 2003 में जब राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उससे पूर्व ही कन्हैयालाल पुरूषोत्तम के नाम दाखिल खारिज होकर खातेदार स्वीकार किया जा चुका है। तथा इन्तकाल नं0 667 सो सम्वत् 2003 सो तथा कोटा स्टेट के समय में दिनांक 12.11.1938 से कन्हैयालाल पुरूषोत्तम की खातेदारी स्वीकार हुई है। अतः वादीगण उक्त आराजी को अपने नाम खातेदारी बहाल कराने के पूर्णतया अधिकारी है।

विवादित आराजियात मंदिर कल्याणराय जी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने से प्रतिवादी मुनाफा काश्त निलामी पर उठाने पर आमादा हो रहा है। यदि उक्त आराजी को प्रति वर्ष मुनाफा काश्त की निलामी सो जुपा दी गई तो वादीगण अपने हकूक काश्तकारी से वंचित हो जावेंगे। वादीगण की आजीविका का यही आराजी एकमात्र आधार है। इस हेतु वादीगण में प्रतिवादी से हरचन्द निवेदन किया, कि वह आराजी को खातेदारी में दर्ज करें तथा मंदिर कल्याणराय जी का नाम खाते से हटावें। परन्तु वादीगण के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। वादीगण ने प्रतिवादी को धारा 80 जा0दी0 के तहत राज0 सरकार को जर्ये जिला कलक्टर, बारां को नोटिस प्रेषित कर दिया है। जो उन्हें प्राप्त भी हो गया है। परन्तु प्रतिवादी उक्त भूमि को शिघ्र ही मुनाफा काश्त की बोली लगाकर मुनाफा पर देने पर आमादा है। इसलिए वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मियाद नोटिस समाप्ति से पूर्व धारा 80(2) जा0दी0 के प्रावधानों के तहत यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन धारा 80(2) जा0दी0 पृथक से पेश है। वाद कारण अंतिम बार दिनांक 28.06.2010 को राज्य सरकार को नोटिस देने पर व नोटिस उन्हें प्राप्त हो जाने तथा उक्त भूमि को मुनाफा काश्त की बोली द्वारा काश्त करवाने की जानकारी होने पर उत्पन्न होना करार दिया जाता है।

वादीगण का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश हुआ। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071–74 खाता सं0 316, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम माथनी सम्वत् 2015–24, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038–57 ग्राम माथनी, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम माथनी सम्वत् 2038–57, नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2007–2014, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–24 खाता सं0 129, नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2024–27 खाता सं0 158, नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2051–54 खाता सं0 223, नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2043–46 खाता सं0 186, नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2047–50 खाता सं0 211, नकल भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी ग्राम माथनी सम्वत् 2038–57 खाता सं0 183 पेश की गई है। साक्ष्य वादी में pw1 गिरिश के बयान कराये गये है।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

(11)

जी वाके ग्राम माथनी में स्थित है। जो वर्तमान में भूमि मंदिर श्री कल्याणराय जी के नाम है। सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना सुनवाई के नाम खाते से हटा दिया। विवादित भूमि आज भी हमारे कब्जे काश्त में है। सम्वत् 2003–2006 तक के खाते अनुसार विवादित आराजियात के खातेदार पुरूषोत्तम व कन्हैयालाल रहे है। विवादित आराजी को गलत तौर पर माफी मंदिर कल्याणराय के नाम सेटलमेन्ट द्वारा दर्ज कर दी है। जबकि राज्य सरकार ने परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6)(3)(2) राज0 5/2007/14 दिनांक 24.05.2007 में स्पष्ट निर्देश है कि वर्षों से काबिज चली आ रही भूमि का काबिज व्यक्ति को खातेदारी दी जावे। सम्वत् 2003 से राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। उससे पूर्व ही कन्हैयालाल, पुरूषोत्तम के नाम दाखिल खारिज होकर खातेदार स्वीकार किया जा चुका है। तथा नामा0 नं0 667 से सम्वत् 2003 से कोटा स्टेट के समय में दिनांक 12.11.1938 से कन्हैयालाल पुरूषोत्तम की खातेदारी स्वीकार हुई। वादीगण विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी बहाल कराने के पूर्णतया अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक द्वारा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल भू–प्रबन्ध विभागसम्वत् 2038–57 के अनुसार मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2047–50, सम्वत् 2043–46 खाता सं0 186, सम्वत् 2051–54 खाता सं0 223 में माफी श्री कल्याणराय महाराज विराजमान बारां के नाम दर्ज होना पाया जाता है। नकल खतौनी बन्दोबस्त ग्राम माथनी सम्वत् 2015–24 खाता सं0 129 में माफी श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां पुजारी कन्हैयालाल व पुरूषोत्तम पुत्रान गोविन्दा कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज के नाम दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2007–14 में माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के नाम दर्ज रिकाड है। नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071–74 खाता सं0 316 में माफी श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां का नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां के खातेदारी में दर्ज है मंदिर के साथ पूर्व में पुजारी दर्ज चला आ रहा था परन्तु राज0 सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाजन जयपुर के परिपत्र दिनांक 13.12.91 से मंदिर की भूमियों से पुजारी का नाम हटाने के निर्देश दिये गये थे। उसके बाद सभी मंदिरों की भूमियों से पुजारियों के नाम हटा दिये गये। वादीगण द्वारा नामा. 667 से दाखिला खारिज हुआ था। दिनांक 12.11.1938 से दाखिला खारिज का नोट अंकित है खातेदारी स्वीकार होना अंकित नहीं है। यदि दिनांक 12.11.1938 से स्वीकार होती तो आगे की जमाबन्दी में कन्हैयालाल व पुरूषोत्तम का नाम खातेदारी में अंकन क्यों नहीं हुआ। वादीगण द्वारा 1938 के वाद वर्ष 2010 में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का दावा पेश किया है। 72 साल बाद वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए दावा पेश किया है। माफी मंदिर शाशवत अवयस्क है इसकी खातेदारी की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा सकती है। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया, कि विवादित भूमि मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज विराजमान बारां के नाम है। राजस्थान सरकार के दवस्थान विभाग के स्वतन्त्र प्रभार के मंदिरों की सूची में दर्ज है। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की विज्ञप्ती दिनांक 27.04.1981 के अनुसार राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरों के स्वामित्व व रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

भी प्रकार का रद्दोबदल नहीं किया जा सकता है। वादीगण सद्भावी कृषक नहीं है। ...रा निवास करता है। मंदिर की भूमि को 750/– प्रति बीघा मुनाफा की तय राशि जमा करवा कर 10,00/– प्रति बीघा तक मुनाफा से काश्त करवाता है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी

बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0) (13)

डिक्री

संख्या 123/10	अन्तर्गत 88,89,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 31.07.2023
पीठासीन: श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओम प्रकाश मेहता एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. गिरिश पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
2. सुरेश पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
3. राजेन्द्र उर्फ दिनेश पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बारां तहसील बारां जिला बारां

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.07.2023 .को निर्गत किया गया।

उपखण्डअधिकारी
बारांजिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner